UPCH010031792023

न्यायालय—अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, चित्रकूट।

पीठासीन अधिकारी—अनुराग कुरील, (उच्चतर न्यायिक सेवा)— UP1521

सेशन केस नम्बर—554/2023

सरकार...अभियोजक।

बनाम

01— शान मोहम्मद पुत्र छेदीलाल उर्फ सलीम
02— छेदीलाल उर्फ सलीम पुत्र अलीबख्श
03— सलीमियाँ पत्नी छेदीलाल उर्फ सलीम
निवासीगण सेमरिया चरणदासी, थाना बहिलपुरवा, जनपद चित्रकूट।
..................अभियुक्तागण।

अन्तर्गत धारा—498ए, 304बी, 302 भा0दं0सं0 व
धारा—3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना—बहिलपुरवा।
जनपद—चित्रकूट।
अपराध संख्या—29/2023

निर्णय

01— प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण **शान मोहम्मद** पुत्र छेदीलाल उर्फ सलीम, **छेदीलाल उर्फ सलीम** पुत्र अलीबख्श व **सलीमियाँ** पत्नी छेदीलाल उर्फ सलीम, निवासीगण सेमरिया चरणदासी, थाना बहिलपुरवा, जनपद चित्रकूट का विचारण मुकदमा अपराध संख्या 29/2023,धारा 498ए, 304बी, भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दिनांक 13.07.2023 एवं उसके पूर्व दहेज के रूप में एक मोटरसाईकिल तथा रूपये की मांग करने, दहेज की मांग को लेकर वादी की पुत्री को प्रताड़ित करने तथा दिनांक 13.07.2023 को वादिया की पुत्री शबीना की फांसी लगाकर उसकी दहेज मृत्यु कारित करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

Digitally signed by ANURAG KUREEL
Date: 2026.08.19 16:32:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादिया की पुत्री की हत्या कारित करने के सम्बन्ध में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का अतिरिक्त आरोप भी लगाया गया है।

02– अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि वादिनी शहरून ने अपनी पुत्री शबीना की शादी 11 मई 2022 को शान मोहम्मद पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के साथ किया था। दिनांक 13.07.2023 को समय करीब दोपहर 01 बजे उसकी मृत्यु की सूचना उसके ही रिश्तेदारो द्वारा फोन से दिया गया कि उसकी पुत्री फांसी लगाकर मर गयी है, जबकि उसकी पुत्री को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जाता था और कहते थे कि अपने पिता से मोटरसाईकिल व रूपये लाओ, नहीं तो तुम्हे जान से मार देगें और उसकी पुत्री उसे कई बार फोन करके बता रही थी कि उसे उसके पति व उसकी जेठानी रिहाना व उसका जेठ जान मोहम्मद व उसका ससुर छेदीलाल तथा सास सलीमियां उसे जान से मार देगें और आज उसकी लड़की को मार दिया। अतः उक्त आशय की तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने की याचना की।

03– वादिनी मुकदमा की उक्त आशय की तहरीर के आधार घटना की तिथि 13.07.2023 को ही समय 19:47 बजे अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 29/2023 धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

04– मृतका शबीना के शव का पंचायतनामा दिनांक 13.07.2023 को तहसीलदार मानिकपुर, चित्रकूट द्वारा किया गया तथा शव को समुद्रित कर आवश्यक प्रलेखों के साथ शव विच्छेदन हेतु भेजा। दिनांक 14.07.2023 को दो चिकित्सको के पैनल मृतका के शव का विच्छेदन किया गया है तथा शव विच्छेदन आख्या तैयार की गयी।

05– इस मामले की विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्ष पाण्डेय द्वारा की गयी है तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण शान मोहम्मद, छेदीलाल उर्फ सलीम व सलीमियां के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

06– इस मामले को सत्र विचारणीय होनें के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट ने दिनांक 19.10.2023 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किया है, जहां से अन्तरित होकर यह सत्र परीक्षण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

07– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शान मोहम्मद, छेदीलाल उर्फ सलीम व सलीमियां के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का विरचित किया गया है। अभियुक्तगण को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपो से इन्कार किया है तथा परीक्षण की मांग की है।

08– अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

1–	तहरीर	प्रदर्श क–1
2–	पंचायतनामा	प्रदर्श क–2
3–	शव विच्छेदन आख्या	प्रदर्श क–3
4–	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–4
5–	मुकदमा कायमी जी0डी0 नम्बर 030	प्रदर्श क–5
6–	नक्शा नजरी अभियुक्तगण का मकान	प्रदर्श क–6
7–	आरोप पत्र	प्रदर्श क–7
8–	नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–8

09– अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने केस के समर्थन में निम्नांकित अभियोजन साक्षी परीक्षित कराये गये हैं–

1–	पी0डब्लू0–01 शहरूल	वादिनी/मृतका की माँ
2–	पी0डब्लू0–02 अब्दुल सत्तार	मृतका का पिता
3–	पी0डब्लू0–03 इमामुल	मृतका की चाची
4–	पी0डब्लू0–04 हबीबउल्ला	मृतका का चाचा
5–	पी0डब्लू0–05 डा0 आशुतोष कुमार झा	शव विच्छेदनकर्ता
6–	पी0डब्लू0–06 हेड कां0 घासीराम वर्मा	एफ0आई0आर0 व नकल रपट लेखक
7–	पी0डब्लू0–07 पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्ष पाण्डेय	विवेचक

10– अभियोजन गवाह **पी0डब्लू0–01 शहरूल,** जोकि इस मामले की वादिनी मुकदमा एवं मृतका की माँ है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि उसने अपनी लड़की शबीना की शादी लगभग

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

दो वर्ष पहले शान मोहम्मद के साथ किया था। उसकी लड़की की मृत्यु आज से लगभग नौ माह पूर्व उसकी ससुराल में हो गयी थी। उसकी लड़की के ससुर छेदीलाल ने फोन से सूचित किया था कि तुम्हारी पुत्री शबीना फांसी लगाकर मर गयी है। उसकी पुत्री शबीना को शादी के बाद से उसकी ससुराल में कोई तकलीफ नहीं थी। उसकी पुत्री से उसके पति शान मोहम्मद, ससुर छेदीलाल व सास सलीमिया और जेठ जान मोहम्मद तथा जेठानी रेहाना ने कभी भी दहेज में मोटरसाईकिल व रूपयों की मांग नहीं की और न ही उसे कभी इसके लिये प्रताड़ित व तंग ही किया। इस साक्षी ने पत्रावली में संलग्न लिखित तहरीर कागज संख्या 5क को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है तथा उसपर लगे स्वयं के निशान अंगूठा की पुष्टि की है। इस साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर प्रतिकूल साक्षी करार दिया गया है तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गयी है। इस साक्षी से अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षा की है।

11– अभियोजन गवाह **पी0डब्लू0–02 अब्दुल सत्तार,** जोकि मृतका का पिता है, ने अपने सशपथ मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि उसने अपनी लड़की शबीना की शादी मई 2022 में शान मोहम्मद के साथ किया था। दिनांक 13.07.2023 को शबीना की ससुराल में मृत्यु हो गयी। रिपोर्ट उसकी पत्नी शहरूल ने थाना बहिलपुरवा में शान मोहम्मद पति, जान मोहम्मद जेठ, जेठानी रेहाना, ससुर छेदीलाल व सास सलीमिया के विरूद्ध किया था। मुल्जिमानों ने उससे कभी कोई दहेज की मांग नहीं किया था। इस घटना के बाद उसके गांव के कुछ लोग उसके साथ गये थे उनके बहकावे में आकर उसकी पत्नी ने अभियुक्तगणों के विरूद्ध रिपोर्ट करा दिया था। उसकी पुत्री अपने पति से इस बात की जिद करती थी कि उसे भी अपने साथ पूना ले चलो, जब शान मोहम्मद पूना ले जाने के लिये तैयार नहीं हुआ, तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस बात की जानकारी रिपोर्ट लिखाने के कुछ दिन बाद हो गयी थी कि उसकी पुत्री शबीना ने आवेश में आकर आत्महत्या कर लिया है। घटना के बाद हम लोगों के मौके पर पहुंचने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गयी थी। घटनास्थल पर तहसीलदार मानिकपुर

भी उपस्थित थे, उनके सामने पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पन्न हुयी थी, जिसमें उसने तथा हबीबउल्ला, जहूर अली, रामबाबू यादव व रमजान राजा ने भी हस्ताक्षर बनाये थे। इस साक्षी ने अपने बयान से पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा पर बने स्वयं के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुये इसे प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी को भी अभियोजन के अनुरोध पर प्रतिकूल साक्षी करार दिया गया है तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गयी है। इस साक्षी से अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षा की है।

12– अभियोजन गवाह **पी0डब्लू0–03 इमामुल,** जोकि मृतका की चाची है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि **वह** मृतका शबीना की सगी चाची है। शबीना की शादी दिनांक 11.05.2022 को शान मोहम्मद के साथ हुई थी। घटना की सूचना पर वह मौके पर पहुंची थी। वहां पर शबीना का शव मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी जानकारी में शबीना के पति और ससुरालवालों ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं किया था और न ही शबीना के ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण उसे कभी प्रताड़ित किया था। इस स्तर पर साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर प्रतिकूल साक्षी करार दिया गया है तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गयी है। इस साक्षी से अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षा की है।

13– अभियोजन गवाह **पी0डब्लू0–04 हबीबउल्ला, जोकि मृतका का चाचा** है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि वह मृतका शबीना का सगा चाचा है। उसकी मृत्यु की सूचना पर वह भी उसके ससुराल गया था। उसके सामने पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पन्न हुयी थी। पंचायतनामा लिखे जाने के पश्चात् पंच के रूप में उसने भी पंचायतनामा में अपने हस्ताक्षर बनाये थे। कागज संख्या 35क/2 लगायत 35क/3 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही पंचायतनामा है जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हैं जिसकी वह पुष्टि करता है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि शबीना की शादी 11 मई, 2022 को हुई थी। शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गयी थी और न ही कोई विवाद हुआ था। अपनी हैसियत

के अनुसार हमलोगों ने शबीना की शादी में जो बन पड़ा वह भेंट स्वरूप दिया था। उसकी भतीजी शबीना ससुराल से मायके आती जाती थी। उसने कभी भी अपने ससुरालीजनों द्वारा एक मोटरसाईकिल व रूपयों की मांग करने तथा उसे प्रताड़ित करने की बात नहीं बतायी थी। इस स्तर पर साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर प्रतिकूल साक्षी करार दिया गया है तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गयी है। इस साक्षी से अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षा की है।

14— अभियोजन गवाह **पी0डब्लू0—05 डा0 आशुतोष कुमार झा** ने अपने सशपथ मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक 14.07.2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानिकपुर चित्रकूट में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उसी दिनाँक उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु जिला पोस्टमार्टम हाउस में लगी थी। दिनाँक 14.07.2023 को मृतिका सबीना का पोस्टमार्टम डाक्टर आशुतोष जायसवाल पी.एच.सी. बियावल, मऊ व उसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मृतिका सबीना का शव दिनांक 14.07.2023 को समय 12:55 पी0एम0 पर 11 पुलिस प्रपत्र के साथ हम लोगों को प्राप्त हुआ था। शव के साथ कांस्टेबिल बृजेश कुमार धुरिया व महिला कांस्टेबिल आरती देवी आयी हुई थी। मृतिका के शव की पहचान मृतिका के चाचा हबीबउल्ला व मृतिका के मामा शेखलाल द्वारा की गयी थी। मृतिका की उम्र पोस्टमार्टम के समय लगभग 20 वर्ष थी और मृतिका का पता सबीना पत्नी शान मोहम्मद पुत्री अब्दुल सत्तार निवासी मुस्लिम पुरवा मजरा सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट था। मृतिका के शरीर की लंबाई लगभग 162 सेंमी० और वजन लगभग 50 किलो, शारीरिक बनावट मध्यम औसत काठी थी। मृतिका के शरीर पर एक कुर्ती, एक लैगी, कांच की चूड़ियों के टुकड़े, एक काली ताबीज काले धागे सहित, एक बाल रबर व एक मोती का माला था। मृतिका का पोस्टमार्टम हम लोगों द्वारा समय 1:00 पी0एम0 पर शुरु किया गया था और 1:45 पी0एम0 पर समाप्त किया गया था।

मृतिका के शव में—

1- Riger Mortis passed off upper limb and paritally present in

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

lower limb.

2- Face Cynosed.

3- दोनों आंखे और मुंह partially खुला हुआ था।

4- नाक से खून बह रहा था।

बाह्य चोटें –

Antemortem ligature mark-

1- Ligature mark presents anterior 5.5 cm. below chin, 07 cm. below from right ear and 3cm below from left ear.

2- Toal neck circumference 3cm, ligature mark length 22cm and width 2cm continuous going oblique backward and upward 8cm gap present on left side of neck.

3- On cut section subcutaneous tissue underneath ligature mark is whitish and glistening parchment like appearance and colour of ligature mark blackish- Margin congested.

4- No any other external injury present. मृतिका के अमाशय में 50 ML. Fluid Present.

5- All organs (Brain, lung, liver, GIT kidney etc.) congested.

6- Heart- both side partially filled with blood.

7- Rest all others systems&no abnormality detected-

8- Uterus- Non Gravid.

आन्तरिक चोटें–

1- Scalp- no abnormality detected.

2- Skull- no abnormality detected.

3- Head- झिल्लियाँ, झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान तथा मस्तिष्क की रक्त वाहिनी (रक्तस्राव एवं इसकी स्थिति) – Congested- Orbital, Nasal and Aural, cavities findigns- no abnormality detected.

4- Neck- Mouth, tounge and pharynx - cynosed Larynx and vocal cords congested. ग्रीवा के आंतरिक उतकों की स्थिति congested- थायराइड एवं अन्य उपास्थियों की स्थिति श्वासनली–Hyoid Bone-Hyoid Bone not fractured and Trachea intact.

5- Chest- ribes and chest bones no abnormality detected.
Oesophagoas&no abnormality detected.
Trachea and broncheal tree& congested.
Pleura no abnormality detected.
Lung finding- both lungs are congested.

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

Pericardium and pericardial sac-no abnormality detected.
Heart-both side partially filled with blood.
Large blood vessels&no abnormality detected.

6- Abdomen-condition of Abdominal wall-no abnormality detected.
Peritoneum and peritonial cavity-no abnormality detected.
Stomach-about 50 ml. of fluid present.
Small intestine including appendix-filled with pasty material and gases.
large intestine-filled with faecal matter and gases.
Liver congested and gall bladder partially filled.
Spleen, pancreas, kidney-congested.

7- Pelvis and Pelvic cavity&no abnormality detected.
Uterus non gravit.

चिकित्सक की राय में पोस्टमार्टम के समय से मृतिका की मृत्यु लगभग डेढ़ दिन पूर्व हुई थी। तत्कालिक मृत्यु का कारण Asphyxia था।

मृत्यु का कारण–Antemortem Hanging.

मृतिका के शव का कोई विसरा उपयोग में लाया गया

प्रिजरवेटिव– NA

पोस्टमार्टम करने के पश्चात् शव को व उसके वस्त्रों को तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सीलबंद करके पुलिस आरक्षी बृजेश कुमार धुरिया व महिला आरक्षी आरती देवी को सुपुर्द किया गया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 36 क/1 लगायत 36 क/6 मृतका की शव विच्छेदन आख्या पर बने डाक्टर आशुतोष जायसवाल व स्वयं के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुये शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से भी बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरीक्षा की गयी है।

15– अभियोजन गवाह **पी0डब्लू0–06 हेड कांन्सटेबिल घासीराम वर्मा** ने अपने सशपथ मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 13.07.2023 को वह थाना बहिलपुरवा में बतौर हेड मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को उसके कार्यलेख के दौरान वादिया मुकदमा शहरुन पत्नी शतार खाँ निवासी ग्राम तहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के द्वारा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र लेकर स्वयं का निशानी अंगूठा लगा हुआ थाना

उपस्थित आयी, जिसपर उसके द्वारा तहरीर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 29/2023 धारा 498ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत करते हुए उक्त मुकदमे का खुलासा रपट नंबर 30 समय 19.47 बजे दिनांक 13.07.2023 को किया गया था। इस साक्षी ने चिक एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 संख्या 30 को क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से भी बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

16– अभियोजन गवाह **पी0डब्लू0–07 पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्ष पाण्डेय,** जोकि इस मामले के विवेचक है, ने अपने सशपथ बयान में दौरान विवेचना की गयी कार्यवाही से अवगत कराते हुये पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी को स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होनें की पुष्टि करते हुये इसे प्रदर्श क–6 के रूप में एवं आरोप पत्र पर बने स्वयं के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुये आरोप पत्र को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से भी बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

17– अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया गया है। अभियुक्तगण ने अपने बयान में वादी की पुत्री शबीना से अभियुक्त शान मोहम्मद का विवाह दिनांक 11.05.2022 को होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त मृतका शबीना तथा उसके परिवारीजन से दहेज में एक मोटरसाईकिल व रूपये की मांग करना तथा दहेज की मांग पूरी न होनें के कारण मृतका को प्रताड़ित करना व मारपीटकर फांसी लगाकर उसकी दहेज मृत्यु कारित करने के तथ्य को गलत बताया है। मुकदमें को झूंठा चलना कहा है और कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूंठा फंसाया गया है।

18– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

19– अभियोजन की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 07 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति फांसी लगाये जाने के कारण अभियुक्तगण के निवास स्थान तथा उसकी ससुराल

में हुई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि मृतका को दहेज में एक मोटरसाईकिल और रूपयों की मांग को लेकर अभियुक्तगण प्रताड़ित करते थे और उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे। अतः ऐसी स्थिति में धारा 133ख भरतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्तगण के द्वारा उसकी दहेज मृत्यु कारित कर दी गयी। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्तगण के द्वारा मृतका की दहेज मृत्यु कारित किये जाना साबित हुआ है। अभियुक्तगण के द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि कि अभियोजन तथ्य के साक्षीगण को अभियोजन के अनुरोध पर प्रतिकूल साक्षी माना गया है, किन्तु उनके केवल प्रतिकूल साक्षी करार दिये जाने के आधार पर उनके सम्पूर्ण साक्ष्य को तिरस्कृत नहीं किया जायेगा, बल्कि उनके परिसाक्ष्य में अभियोजन के जिस कथन का समर्थन हुआ है, वह अभियोजन के पक्ष में पढ़ा जायेगा।

20— बचाव पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका की मृत्यु विवाह के 07 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में फांसी लगाये जाने के कारण ससुराल में हुई है। किन्तु केवल इस आधार पर धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण के द्वारा उसकी दहेज मृत्यु कारित कर देनें की उपधारणा नहीं की जा सकती है। धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दहेज मृत्यु कारित किये जाने की उपधारणा के लिए यह भी आवश्यक है कि दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया हो और यह प्रताड़ना मृत्यु के ठीक पहले भी मौजूद रही हो। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दहेज की मांग करना और इस मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध है, उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की दहेज मृत्यु कारित नहीं की गयी, बल्कि उसके द्वारा स्वयं फांसी लगा लेने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण को प्रतिकूल साक्षी करार दिया गया है तथा परीक्षित तथ्य

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

के साक्षियों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है।

21— धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के गठन के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह से 07(सात) वर्ष के भीतर हुई हो, उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में अथवा फांसी लगाये जाने के कारण हुई हो, मृतका के पति या उसके किसी सम्बन्धी द्वारा दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया हो तथा क्रूरता का यह व्यवहार मृतका की मृत्यु के ठीक पहले भी रहा हो। दहेज मृत्यु का अपराध कारित किये जाने का गठन तथा धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दहेज मृत्यु की उपधारणा किये जाने के सम्बन्ध में **Kans Raj *Vs.* State of Punjab 2000 S.C.C. (Criminal) 935** तथा **Baljeet singh and another *Vs.* State of Haryana 2004 S.C.C. (Criminal) 692** के मामले में मान्नीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा—113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उपधारित किये जाने के लिए अभियोजन पक्ष के द्वारा निम्नलिखित को साबित किया जाना आवश्यक है—

(01)— मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 07 (सात) वर्ष के भीतर हुई है।

(02)— उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में अथवा फांसी लगाये जाने के कारण हुई है।

(03)— मृतका को उसके पति या उसके किसी सम्बन्धी के द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था व उसे क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन रखा गया था।

(04)— मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाना व क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन रखा जाना उसकी मृत्यु के ठीक पहले भी मौजूद रहा है।

धारा—113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दहेज मृत्यु की उपधारणा के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक उपरोक्त वर्णित सभी तत्वों का विद्यमान होना साबित किया जाय। अब यह देखा जाना है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष दहेज

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

मृत्यु के अपराध के गठन के लिए आवश्यक उपरोक्त वर्णित तत्वों को साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

22– अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका का विवाह अभियुक्त शान मोहम्मद के साथ दिनांक 11.05.2022 को हुआ था और उसकी मृत्यु 13.07.2023 को हुई है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किये गये साक्षीगण ने भी अपने बयान में यह बताया है कि मृतका की मृत्यु 13.07.2023 को हुई है और यह मृत्यु उसके विवाह के 07 वर्ष के भीतर हुई है। अभियुक्तगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया है, जिन्होनें अपने बयान में भी यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त शान मोहम्मद का विवाह वादिनी की पुत्री शबीना(मृतका) के साथ दिनांक 11.05.2022 को सम्पन्न हुआ था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु 13.07.2023 को हुई है। इस तथ्य पर विवाद भी नहीं किया गया है। अतः यह साबित है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 07 वर्ष के भीतर हुई है।

23– अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थिति में जल जाने के कारण अभियुक्तगण के निवास अर्थात् उसकी ससुराल में हुई है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के बयान में यह आया है कि मृतका की मृत्यु फांसी का फंदा लगाये जाने के कारण हुई है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, जो प्रदर्श क–3 है, जिसे अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–05 डाक्टर आशुतोष कुमार झा ने अपने बयान में साबित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के गले में Ligature mark की चोट होना और जो मृत्यु पूर्व Hanging के परिणामस्वरूप आने का उल्लेख है। अन्य कोई चोट को दर्शित नहीं किया गया है। पी0डब्लू0–05 डाक्टर आशुतोष कुमार झा ने अपने बयान के पृष्ठ 03 पर यह बताया है कि ''मृतिका के शव के गले में लाइगेचर मार्क के अलावा उसके शरीर में अन्य कोई चोट नहीं थी। मृत्यु पूर्व हैंगिग से उत्पन्न श्वासावरोध अक्सर सुसाइडल होता है।'' अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थिति में मृत्यु पूर्व Hanging के कारण हुई है।

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

24— अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण दहेज में एक मोटरसाईकिल और रूपयों की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करते थे। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष ने वादिनी के द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है, जो कि प्रदर्श क–1 है। तहरीर वादी प्रदर्श क–1 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तगण दहेज की मांग को लेकर मृतका को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जाता था और अपने पिता से दहेज में मोटरसाईकिल तथा रूपये लाने के लिये कहा जाता था। वादिनी द्वारा दर्ज करायी गयी यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका प्रयोग साक्ष्य के समर्थन एवं खण्डन में किया जा सकता है। यह देखे जाने की आवश्यकता है कि इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में दहेज की मांग एवं मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने के कथन का समर्थन अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य से हो सका है अथवा नहीं? दहेज की मांग करना तथा इस मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में मृतका के घर वालों का बयान महत्वपूर्ण है। मृतका के माता–पिता तथा उसके निकट के मित्र एवं सम्बन्धी ही यह बता सकते हैं कि दहेज की मांग की जाती थी अथवा नहीं और यह बता सकते हैं कि मृतका को प्रताड़ित किया जाता था अथवा नहीं? अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–01 के रूप में मृतका की माँ शहरूल को परीक्षित कराया गया है, जो कि इस मामले की वादी भी है। इस साक्षी ने अपने मुख्य बयान में अभियोजन कथन का समर्थन न करते हुये यह बताया है कि पुत्री शबीना को शादी के बाद से उसकी ससुराल में कोई तकलीफ नहीं थी। उसकी पुत्री से उसके पति शान मोहम्मद, ससुर छेदीलाल व सास सलीमिया और जेठ जान मोहम्मद तथा जेठानी रेहाना ने कभी भी दहेज में मोटरसाईकिल व रूपयों की मांग नहीं की और न ही उसे कभी इसके लिये प्रताड़ित व तंग ही किया। इस साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर प्रतिकूल साक्षी करार दिया गया है। इस साक्षी से अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष ने विस्तृत प्रतिपरीक्षा किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने बताया है कि ''......मेरे दामाद व उसके अन्य

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

परिवारीजन दहेज में कुछ नहीं मांगते थे। मेरे तहरीर में दहेज मांगने वाली बात किसने कैसे लिखा दिया है, मैं नहीं बता सकती।......'' इस प्रकार इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में भी अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग किये जाने व मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने के अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''.........मेरी बेटी की शादी में कोई दहेज तय नहीं हुआ था। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक दान–दहेज दिया था। मेरी बेटी अपनी ससुराल में खुश रहती थी। मायके आने पर अथवा फोन से मेरी बेटी ने अपनी ससुरालीजनों की कोई शिकायत हमसे कभी नहीं की थी। ....'' अग्रेतर कथन किया है कि ''......मेरी लड़की जिद्दी स्वभाव की थी। अपने पति द्वारा पूना साथ न ले जाने के कारण वह अवसाद ग्रस्त हो गयी थी, इसी कारण एकान्त पाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था।........'' आगे साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''........मैं अपनी बेटी की मृत्यु के गम में थी, कुछ लोग मुझे व मेरे पति को थाने लिवा ले गये थे और वही लोग मेरे पति को साथ लेकर दरोगा जी से मिले व बातचीत किये थे। उन्हीं सब लोगों ने किसी से एक प्रार्थना पत्र लिखवाया था और मेरे पास आकर उस प्रार्थना पत्र में मेरे निशानी अंगूठा लगवा लिया था। उस प्रार्थना पत्र को मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। मुझे यह बताया गया था कि लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिये यह प्रार्थना पत्र लिखवाया गया है। मेरी बेटी द्वारा की गयी आत्महत्या में अभियुक्तों का कोई दोष नहीं है।........'' तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है और इसपर निशान अंगूठा वादिया ने लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका के पिता अब्दुल सत्तार को बतौर पी0डब्लू0–02 परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने भी दहेज की मांग और इस मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने भी पी0डब्लू0–01 शहरूल (मुकदमा वादिनी) के इस कथन का समर्थन किया है कि इस घटना के बाद उसके गांव के कुछ लोग उसके साथ गये थे, उनके बहकावे में आकर उसकी पत्नी ने अभियुक्तगणों के विरूद्ध रिपोर्ट करा दिया था। उसकी पुत्री अपने पति से इस बात की जिद

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

करती थी कि उसे भी वह अपने साथ पूना ले चले और जब शान मोहम्मद पूना ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। दहेज की मांग न होनें तथा प्रताड़ित न किये जाने के पी0डब्लू0–01 के कथन का समर्थन इस साक्षी ने भी अपने बयान में किया है। अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को भी प्रतिकूल साक्षी करार दिया गया है। अभियोजन ने इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा किया है। प्रतिपरीक्षा में भी ऐसी कोई बात नहीं आयी है, जिससे कि दहेज की मांग और इस मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने के अभियोजन कथन का समर्थन होता हो। मृतका के माता–पिता के अतिरिक्त अभियोजन ने पी0डब्लू0–03 इमामुल(मृतका की चाची), पी0डब्लू0–04 हबीबउल्ला (मृतका का चाचा) को भी परीक्षित कराया गया है, जो मृतका के निकट सम्बन्धी हैं। उपरोक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है और सभी को अभियोजन के अनुरोध पर प्रतिकूल साक्षी माना गया है। अभियोजन पक्ष ने अपने ही उपरोक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा की है। प्रतिपरीक्षा में भी साक्षीगण ने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण के उपरोक्त बयान से अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया जाना साबित नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अन्य कोई ऐसा दस्तावेजी अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करते थे।

25– उपरोक्त के आधार पर यह स्पष्ट है कि दहेज मृत्यु के अपराध के गठन के लिए जो आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किये जाने थे, उनमें से दहेज की मांग और मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने की महत्वपूर्ण कड़ी को अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति में धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा दहेज मृत्यु कारित किया जाना उपधारित किये जाने का आधार नहीं है।

26– अभियुक्तगण के द्वारा मृतका की दहेज मृत्यु कारित किया जाना साबित किये जाने के लिए पत्रावली पर कोई सीधा साक्ष्य नहीं है। किसी भी

साक्षी ने इसका समर्थन नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह देखे जाने की आवश्यकता है कि अभियोजन कथन तथा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप सन्देह से परे होकर साबित हो सके हैं अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण के घर में फांसी का फंदा लगाये जाने से हुई है। मृतका के गले पर जिस प्रकार की चोट है, उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मृतका का गला घोटकर फांसी लगाकर उसकी मृत्यु कारित की गयी है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका जिद्दी स्वभाव की महिला थी तथा अपने पति शान मोहम्मद के साथ पूना जाने की जिद्द कर रही थी तथा अभियुक्त द्वारा आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत अपने साथ पूना ले जाने से मना करने पर मृतका ने एकान्त पाकर स्वयं फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या किया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका द्वारा अभियुक्तगण के घर के सामने सड़क की दूसरी तरफ ग्राम सभा की खाली जमींन पर एकान्त में बनी झोपड़ी में लगी बड़ेर/बल्ली में फांसी का फंदा डालकर स्वयं आत्महत्या किया गया है। मृतका के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, जो प्रदर्श क–3 है, जिसे पी0डब्लू0–05 डाक्टर आशुतोष कुमार झा ने अपने बयान में साबित किया है। मृतका के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गले में Ligature mark की चोट पायी गयी है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई पाये जाने का उल्लेख नहीं है। पी0डब्लू0–05 डाक्टर आशुतोष कुमार झा ने अपने बयान में यह बताया है कि लिगेचर का निशान ठोड़ी से 5.5 सेमी0 नीचे, दाहिने कान से 07 सेमी0 नीचे और बाएं कान से 03 सेमी0 नीचे सामने की ओर मौजूद था तथा गर्दन की कुल परिधि 03 सेमी0, लिगेचर चिन्ह की लम्बाई 22 सेमी0 और चौड़ाई 02 सेमी0, लगातार तिरछी दिशा में पीछे और ऊपर की ओर जाती हुई, गर्दन के बांयी ओर 08 सेमी0 का अन्तर मौजूद था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जाहिरा चोट नहीं थी। प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–05 डाक्टर आशुतोष कुमार झा द्वारा बताया गया है कि मृतका के शव के गले में लिगेचर मार्क के अलावा उसके शरीर में अन्य कोई चोट नहीं थी। मृत्यु पूर्व हैंगिग से उत्पन्न श्वासावरोध

अक्सर सुसाइडल होता है। पी0डब्लू0—01 शहरूल, मृतका की माँ है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि उसकी लड़की जिद्दी स्वभाव की थी। अपने पति द्वारा पूना साथ न ले जाने के कारण वह अवसादग्रस्त हो गयी थी, इसी कारण एकान्त पाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इसी आशय का कथन मृतका के पिता पी0डब्लू0—02 अब्दुल सत्तार ने भी अपने बयान के पृष्ठ 04 पर किया है। विवेचक द्वारा तैयार किये गये नक्शा नजरी प्रदर्श क—6 व प्रदर्श क—8 में भी मुख्य घटनास्थल अभियुक्तगण के पक्के मकान के सामने स्थित रास्ते के दूसरी तरफ ग्रामसभा की खाली जमींन में बनी खाली झोपड़ी के अन्दर लकड़ी की बड़ेर से लटककर फांसी लगाना दर्शाया गया है। इससे यह पाया जाता है कि मृतका द्वारा अभियुक्तगण के निवास के सामने रास्ते के दूसरी तरफ खाली पड़ी झोपड़ी में फांसी लगाया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण के पक्के निवास के सामने रास्ते के दूसरी तरफ खाली पड़ी झोपड़ी में घटना के समय मृतका के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपस्थित रहा हो।

27— पत्रावली पर उपलब्ध अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से बचाव पक्ष के कथन का समर्थन हुआ है। अभियोजन पक्ष के साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि घटना के पश्चात् अभियुक्तगण के द्वारा सूचना देनें पर वे वहाँ पहुंचे थे। अतः अभियुक्तगण के द्वारा इस घटना के घटित होनें की सूचना भी मृतका के घर वालों को दी गयी। अतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं हो सका है।

28— अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अभियुक्तगण के द्वारा मृतका की दहेज मृत्यु कारित करना साबित नहीं हो पाता है और साक्ष्य के आधार पर यह पाया जाता है कि उसने आत्महत्या किया है, तब ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने का दोषी है। बचाव पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध के लिए साशय दुष्प्रेरित किया जाना साबित होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मान्नीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **Sohan Raj Shrma Vs. State of**

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

Haryana 2008 Crl. L.J. 2569 एवं **Gangula Mohan Reddy *Vs.* State of Andhra Pradesh 2010(68) A.C.C.-667** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किये जाने के अपराध को साबित किये जाने के लिए साशय इसका किया जाना साबित करना आवश्यक है। यह साबित करना आवश्यक है कि आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के आशय से अभियुक्त के द्वारा कोई कार्य किया गया हो केवल उसके क्रूर व्यवहार के आधार पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना नहीं कहा जा सकता है। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण ने मृतका को आत्महत्या कर लेनें के लिए साशय दुष्प्रेरित किया था।

29— अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामले में मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 07(सात) वर्ष के भीतर आत्महत्या कर लेनें के कारण होना पाये जाने की स्थिति में धारा—113क भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्तगण के द्वारा उसे आत्महत्या कर लेनें के लिए दुष्प्रेरित किया गया। अभियोजन पक्ष के इस तर्क पर विचार करने के लिए धारा 113क भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राविधान को देखा जाना आवश्यक है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क के अनुसार—

> ''किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गयी थी।''

30— धारा—113क भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अवधारणा करने के लिए जो आवश्यक तत्व दिये गये है, उनमें यह भी महत्वपूर्ण तत्व है कि अभियोजन द्वारा यह दर्शित किया गया हो कि मृतका के साथ अभियुक्तगण

ने क्रूरता का व्यवहार किया था तथा उसे प्रताड़ित किया गया था। अभियोजन पक्ष ने क्रूरता का व्यवहार करने एवं प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–01 शहरूल, पी0डब्लू0–02 अब्दुल सत्तार, पी0डब्लू0–03 इमामुल व पी0डब्लू0–04 हबीबउल्ला को परीक्षित कराया गया है, जिनके बयान तथा उसकी विश्वसनीयता का विस्तार से विश्लेषण करते हुये यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका है कि अभियुक्तगण के द्वारा दहेज में मोटरसाईकिल व रूपये–पैसे की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। ऐसी स्थिति में धारा–113क भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यह अवधारणा किये जाने का आधार नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को आत्महत्या कर लेनें के लिए दुष्प्रेरित किया गया।

31– इस मामले के वादिनी शहरूल की लिखित तहरीर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई है तथा कार्यवाही की गयी है। तहरीर वादी में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अभियुक्तगण दहेज में मोटरसाईकिल व रूपये लाने के लिए मृतका से कहते थे और इस मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। इस तहरीर पर लगा अपना निशान अंगूठा वादिनी पी0डब्लू0–01 शहरूल ने स्वीकार किया है। उसके इस प्रार्थना पत्र पर ही विवेचना की कार्यवाही की गयी है तथा विवेचक ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है, साक्षीगण का बयान लिखा है और इसी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध रहे हैं। इस तहरीर के सम्बन्ध में पी0 डब्लू0–01 शहरूल ने अपने बयान में यह कहा है कि इस तहरीर में उसके निशानी अंगूठा लगे हैं, परन्तु इसमें क्या लिखा है, इसके बारे में उसके पति व लिखने वाले ने उसे नहीं बताया था और न पढ़कर सुनाया था। अपने पति के कहने पर उसने तहरीर पर अपने निशान अंगूठा लगा दिया था। इस तहरीर में किसके–किसके खिलाफ क्या लिखाया गया है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–04 पर कथन किया है कि उसकी बेटी अपने पति के साथ पूना जहां वह प्राईवेट नौकरी करता था, जाकर रहना चाहती थी और उसके लिये अपने पति से बार–बार कहती थी

लेकिन उसका पति आर्थिक समस्याओं के कारण उसकी बेटी को अपने साथ पूना नहीं ले जा सका था। उसकी लड़की जिद्दी स्वभाव की थी, अपने पति द्वारा पूना साथ न ले जाने के कारण वह अवसादग्रस्त हो गयी थी, इसी कारण एकान्त पाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। अतः वादिनी को सही तथ्यों की जानकारी पहले से ही थी, किन्तु उसके द्वारा जानबूझकर गलत तथ्यों का उल्लेख करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसपर यह कार्यवाही हुई है। अतः ऐसी स्थिति में वादिनी के विरूद्ध कार्यालय द्वारा पृथक प्रकीर्णवाद दर्ज करते हुये धारा–344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाना उचित होगा कि क्यों न उसे न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के लिए दण्डित किया जाये।

32– पत्रावली पर आये उपरोक्त साक्ष्य के विशलेषण के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि अभियोजन पक्ष सन्देह से परे होकर यह साबित नहीं कर सका है कि अभियुक्तगण ने मृतका से दहेज में मोटरसाईकिल व रूपयों की मांग की, उक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया अथवा उसे क्रूरता के अधीन रखा गया, ऐसी स्थिति में धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अभियुक्तगण के द्वारा मृतका की दहेज मृत्यु कारित करने की उपधारणा किये जाने का कोई आधार नहीं है। यह भी सन्देह से परे होकर साबित नहीं किया जा सका है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में मृतका की हत्या कारित कर दिया, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण शान मोहम्मद, छोदीलाल उर्फ सलीम व सलीमियाँ पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी व 302 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम सन्देह से परे होकर साबित नहीं हो सका है। अभियुक्तगण शान मोहम्मद, छोदीलाल उर्फ सलीम व सलीमियाँ को सन्देह का लाभ देकर लगाये गये आरोपो से दोषमुक्त किये जाने का आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण **शान मोहम्मद** पुत्र छेदीलाल उर्फ सलीम, **छेदीलाल उर्फ सलीम** पुत्र अलीबख्श व **सलीमियाँ** पत्नी छेदीलाल उर्फ सलीम, निवासीगण सेमरिया चरणदासी, थाना बहिलपुरवा, जनपद चित्रकूट को सेशन केस नम्बर 554/2023, मुकदमा अपराध संख्या 29/2023, धारा 498ए, 304बी,

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

302 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं, तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

साक्षी पी0डब्लू0–01 शहरूल पत्नी सत्तार के द्वारा न्यायालय में मिथ्या तथा साक्ष्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उसके विरूद्ध कार्यालय द्वारा पृथक प्रकीर्णवाद दर्ज करते हुये धारा–344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिनांक–05.09.2026 के लिए नोटिस जारी किया जाय कि क्यों न उसे न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के लिए दण्डित किया जाय।

दिनांक–19.08.2026

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–19.08.2026

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
चित्रकूट।
ID No.-UP 1521